सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 1035/सो.आ.नि.–393(2)/2023
दिनाँकः 06 फरवरी, 2023

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाना।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रा0 के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा सम्पादित की जाने वाली सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने हेतु जनपद स्तर पर ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का पैनल तैयार किए जाने हेतु निदेशालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जा रही है जिसकी प्रति आपके सूचनार्थ **संलग्नक–1** पर प्रेषित है। प्रत्येक जनपद में पैनल पर रखे जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख **संलग्नक–2** में दिया गया है। ब्लाक संसाधन व्यक्तियों हेतु आवेदन–पत्र जिला विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक **01–03–2023** तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्रों का प्रारूप उपलब्ध कराने, पैनल हेतु वांछित संख्या आदि की जानकारी देने हेतु जिला विकास अधिकारी कार्यालय में एक काउन्टर स्थापित किया जाएगा तथा प्राप्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर सूचीबद्ध करते हुए विवरण सुरक्षित रखा जाएगा।

2– प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करने हेतु निम्नवत् चयन समिति का गठन किया जाएगा:–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मण्डलायुक्त द्वारा नामित किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/किसी प्रतिष्ठित संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

3– यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 सोशल आडिट संगठन की मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18–01–2023 में यह निर्णय लिया गया है कि ब्लाक रिसोर्स परसन्स के चयन में सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा

मनरेगा जॉबकार्डधारकों के परिवार के सदस्यों को वरीयता दिए जाने सम्बन्धी शर्त के स्थान पर "पूर्व में जनपदों के सोशल आडिट कार्य को फैसिलिटेट करने वाले अनुभवी बी0आर0पी0 को उनके कार्यकाल के आधार पर वरीयता दिए जाने" के सम्बन्ध में निम्नवत् अँक निर्धारित करते हुए चयन की कार्यवाही की जाये:-

(1) बी0आर0पी0 चयन के लिए साक्षात्कार हेतु पूर्णांक – 25

(2) एक वर्ष तक बी0आर0पी0 के रूप में कार्य करने वाले बी0आर0पी0 को वरीयता हेतु निर्धारित अंक–2.5

(3) 02 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक बी0आर0पी0 के रूप में कार्य करने वाले बी0आर0पी0 को वरीयता हेतु निर्धारित अंक–05

4– यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर सेवाएं दे रहे ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी।

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ब्लाक संसाधन व्यक्तियों को पैनल पर रखे जाने हेतु कार्यवाही दिनांक **31 मार्च, 2023** तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने का कष्ट करें, ताकि 01 अप्रैल, 2023 से इनकी सेवाएं ली जा सकें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

3/2/23

(शरद कुमार सिंह)

निदेशक।

a/c ✓

पत्रांकः– 1035/सो0आ0नि0–393(2)/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी, (गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ0प्र0।
3. जिला विकास अधिकारी, (गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)

निदेशक।

a/c a

उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन

(उ0प्र0 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी)
(सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0)
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

संख्याः 1033

दिनांक : 06-02-2023

विज्ञप्ति

महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा सम्पादित की जाने वाली सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने हेतु जनपद स्तर पर ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का पैनल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने का दायित्व सौंपा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट हेतु ब्लाक संसाधन व्यक्ति को रू0 2000/– व्यावसायिक शुल्क तथा रू0 500/– व्यावसायिक यात्रा शुल्क की अनुमन्यता प्राविधानित है। इंगेज किए जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) से सोशल आडिट का कार्य आवश्यकतानुसार लिया जाना है किन्तु वास्तविक रूप से कितनी ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में सहयोग प्राप्त किया जाएगा, यह निर्णय निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 के विवेकाधीन होगा। यह भी सम्भव है कि पैनल में रखे गए किसी BRP को वर्ष में एक भी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने का अवसर न मिल सके। ब्लाक संसाधन व्यक्ति से सोशल आडिट से सम्बन्धित अन्य कार्य भी यथावश्यक निर्धारित व्यावसायिक शुल्क पर लिया जा सकता है।

2– ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) के पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता/प्राथमिकता/आयु सीमाः

(i) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

(ii) जन समस्याओं से संबंधित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।

(iii) आयु– 01 जनवरी, 2023 को न्यूनतम आयु 40 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष के बीच हो।

(iv) अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।

(v) पूर्व में जनपदों के सोशल आडिट कार्य को फैसिलिटेट करने वाले अनुभवी बी0आर0पी0 को उनके कार्यकाल के आधार पर वरीयता चयन समिति द्वारा निर्धारित अंकों के आधार पर दी जाएगी।

3– यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर रखे गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल पर रखे गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।

4– इस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया पैनल 31 मार्च, 2025 तक के लिए मान्य होगा। आवेदन पत्र जिला विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा संगठन की वेबसाइट www.socialauditup.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

5— ब्लाक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संविदा पर सेवाएं दे रहे ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की व्यवस्था से पूर्णतया अतिरिक्त होगी तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी।

6— उपरोक्तानुसार इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से निम्नांकित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:—

आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी की स्व—हस्ताक्षरित फोटो

1— सेवा का नाम : ब्लाक संसाधन व्यक्ति, जनपद ....

2— अभ्यर्थी का नाम : श्री/सुश्री ....

3— जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

4— पिता/पति का नाम :

5— शैक्षिक योग्यता :

6— अनुभव (बी0आर0पी0 के रूप में सोशल आडिट कार्य को फैसिलिटेट करने का विवरण) :

7— मूल निवास का पता, विकास खण्ड एवं जनपद सहित :

8— पत्राचार का पता, मोबाइल नं0 तथा ई—मेल (यदि हो) :

अभ्युक्ति— मूल निवास, शैक्षिक योग्यता, अनुभव (बी0आर0पी0 के रूप में सोशल आडिट कार्य को फैसिलिटेट करने) की पुष्टि में स्व—प्रमाणित प्रमाण पत्र/अभिलेख की प्रति संलग्न करें। मूल निवास के प्रमाण हेतु निर्वाचन परिचय—पत्र या आधार कार्ड भी मान्य होगा।

संलग्नकों का विवरण :

1— .... 2— ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व दिनांक

7— भरे हुए आवेदन—पत्र सम्बन्धित जनपद के **जिला विकास अधिकारी कार्यालय** में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि आवेदन पत्र **दिनांक 01—03—2023** तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जाएं।

2/2/23

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक।